—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 26/2025

उनवान

रूकमा पत्नी हालू जाति गुर्जर निवासी झडवासा, नसीराबाद, अजमेर
—— प्रार्थी :— जरियें अधिक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :— 1 जरियें जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 19.8.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 566 रकबा 0.52 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 525/4833 में से होकर खसरा नम्बर 491 रास्ते तक आवाागमन करता है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 566 रकबा 0.52 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 525/4833 रकबा 0.38 सिवायचक है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 525/4833 का उपयोग करते है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अन्य कोई लघुतम/दीर्घतम मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग को दिये जाने की अभिशंषा तहसीलदार नसीराबाद द्वारा की गयी है। राजस्व मानचित्र अनुसार भी प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रकरण में कोई खण्डन तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पेश नही किया गया है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु रास्ते की आवश्यकता है। जिसके लिये 30 फिट चौडे रास्ते की आवश्कता सिद्व नही होती है। अतः प्रार्थी 15 फिट चौडा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है। ग्राम झडवासा के हाल खसरा 525/4833 में से 475.2[illegible] वर्ग मीटर [illegible] चौडा) रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदा[illegible] 296641/रूपये अक्षरे दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:20 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

लाख छियानवे हजार छः सौ इकतालीस रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:20 IST
Reason: SelfAttested